डांग-पूरक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–6)

क्रमांक प. 3(1)ग्रा.वि./ग्रुप–6/डांग/2016 720-725 जयपुर, दिनांक 03/01/2017

जिला कलक्टर,
बारां, राजस्थान।

विषयः– डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में पूरक वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति/अनुमोदन बाबत।

सन्दर्भः– मुख्य कार्यकारी अ0णधिकारी, जिला परिषद, बारां के पत्रांक 1719, दिनांक 7.12.2016 के क्रम में।

D(SAPL)
26/1/17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूरक वार्षिक कार्ययोजना निम्नानुसार प्राप्त हुई है:–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	उपलब्ध राशि 2016–17	125 प्रतिशत राशि तक के प्रस्ताव	अब तक स्वीकृति जारी	शेष स्वीकृति योग्य राशि	मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृति (15 प्रतिशत तक)	शेष राशि अन्य कार्यों हेतु स्वीकृति योग्य राशि	स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव की राशि
	1	2	3	4(2–3)	5	6(4–5)	7
1.	1188.38	1485.00	965.51	519.49	222.75	296.74	351.00

1. योजनान्तर्गत मरम्मत के कार्य 15 प्रतिशत तक की राशि के, ही स्वीकृत किये जाये।
2. कार्य की स्वीकृति जारी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावें, कि अनुमोदित कार्य योजना में इस कार्य का अन्य स्थान पर रिपिटेशन नहीं हो रहा है एवं यह कार्य अन्य योजना में स्वीकृत नहीं किया गया है।
3. वित्तीय स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि अनुमोदित सभी कार्य सार्वजनिक हित में उपयोग लिये जायेंगे एवं अनुमोदित कार्य सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर ही कराया जा रहा है एवं उनका व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना की प्रगति कम होने का मुख्य कारण स्वीकृत कार्यों का समय पर शुरू नहीं कराया जाना है। कार्यकारी एजेन्सी परिवर्तन एवं अन्य विवादों की वजह से कार्य लम्बे समय तक अप्रारम्भ या अपूर्ण स्थिति में रहते है। अतः जिला कलक्टर से अपेक्षा है कि अगले 15 दिवस में वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना में सभी कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर, वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाये। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 1 महीने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यकारी एजेन्सी/अभियन्ता के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावें एवं कार्य निरस्त कर, नियमानुसार नये प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये जाये।
5. अन्य नियम एवं शर्तें समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2016 के अनुसार ही लागू होगी।

प्राप्त प्रस्ताव का सक्षम स्तर से अनुमोदन कर पालना हेतु निर्देशानुसार प्रेषित है।

भवदीय,

(अरूण सुराणा)
परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी–।।)

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.), बारां, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी–।।)